

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)  
(प्रथम सूचना रिपोर्ट )  
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0046 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 16/03/2024 18:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 15/03/2024 Date To (दिनांक तक): 15/03/2024  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 09:38 बजे Time To (समय तक): 18:28 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/03/2024 Time (समय): 17:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 16/03/2024 18:00:42 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 30 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): Tahsel office Navalgarh, District Jhunjhunu

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Maniram Urf Manoj

(b) Father's Name (पिता का नाम): Shishupal

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1982

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Navldi, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Navldi, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-7597409962

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Swapan Kumar Ray		पिता:Late Bijan Kumar Ray	1. 8,PURBACHAL SCHOOL ROAD,PO-HALTU,कस्बा,24 परगना दक्षिण,पश्चिम बंगाल,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 50,000.00  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, निवेदन है कि दिनांक 15.03.2024 को 09.38 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नम्बर 8000875288 से मेरे मोबाईल नम्बर 9414085086 पर फोन आया व बताया कि मेरा नाम मनीराम है। पश्चिम बंगाल से पुलिस आई हुई है जो मुझे बलात्कार के मुकदमें गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। मुझे कल दिनांक 14.03.2024 को पुलिस थाना नवलगढ में बुलाया था। पश्चिम बंगाल पुलिस वालो ने मुझे गिरफ्तार नहीं करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत मांग रहा है। जिन्हे मै रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि मै बंगाल पुलिस से आये हुये पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने बताया कि मै झुंझुनूं नहीं आ सकता हूँ। परिवादी ने बताया कि मै बस स्टेण्ड नवलगढ के पास मिल जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर मय डिजिटल टेप रिकार्डर, मैमोरी कार्ड के नवलगढ के लिए समय 9.55 ए.एम पर निजी मोटर साईकिल से रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार के रवाना हो नवलगढ बस स्टेण्ड के पास पहुच परिवादी से सम्पर्क किया गया। परिवादी बस स्टेण्ड के पास उपस्थित मिला। परिवादी ने अपना नाम मनोज उर्फ मनीराम पुत्र श्री शिशुपाल जाति माली उम्र 42 साल निवासी नवलडी पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझुनूं होना बताया व परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मय 41(A) नोटिस की फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झुंझुनूं विषय ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत। महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे खिलाफ प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहती पश्चिम बंगाल में दर्ज है। उक्त प्रकरण मे पश्चिम बंगाल से श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक आया हुआ है। जिसने कल मुझे नवलगढ थाने पर बुलाया। मै व मेरा भाई गये थे उसने मेरे भाई गिरधारी लाल को एक 41(A) का नोटिस दिया। मेरे को साईड में लेजाकर स्वपन कुमार उप निरीक्षक ने कहा कि मै तुझे गिरफ्तार नहीं करुंगा आप मुझे एक लाख रुपये लाकर दे दो। मैने उनसे कहा कि मेरे पास इतने रुपये नहीं है फिर भी उन्होने मेरे से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की है। मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। रिश्वत देते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। ना ही कोई उधारी लेन देन है। प्रार्थना पेश कर रहा हूँ। उचित कार्यवाही करें। एसडी मनीराम मो0न0 8000875288” परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं हस्तलिखित है। मामला रिश्वत मांग का बनना पाया जाने पर कानि ईशाक मौहम्मद न0 40 व परिवादी श्री मनीराम को मय डिजिटल टेप रिकार्डर, मैमोरी कार्ड के वास्ते गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार नवलगढ से ए.सी.बी. चौकी के लिए रवाना हुआ।कानि0 ईशाक मौहम्मद ने जरिये दुरभाष बताया कि मैने परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोर कार्ड चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक के पास कोर्ट परिसर में भिजवाया जो वापस आने पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त की। परिवादी ने बताया कि श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक ने मेरे से 60,000/रुपये रिश्वत की मांग की है तथा एक कागज पर लिख भी दिया है। जिस पर कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी को साथ लेकर एसीबी कार्यालय में आने कि हिदायत की तथा जरिये मोबाईल श्री श्योपाल हैड कानि को दो स्वतंत्र गवाह लाने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार ए.सी.बी. चौकी पर उपस्थित आये। कानि0 अली हुसैन न0 573 जरिये तहरीर दो स्वतंत्र गवाहान श्री बजरंग लाल कानिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं व श्री महेन्द्र सिंह, सिपाही ई0पी0एफ0, कार्यालय आबाकारी वृत्त झुंझुनूं लेकर आया। समय 01.10 पी.एम. पर कानि ईशाक मौहम्मद न0 40 व परिवादी श्री मनीराम उपस्थित आये। कानि0 ईशाक मौहम्मद ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय एक लाल रंग का कागज सुबोध पब्लिक स्कुल इंगलिश मिडियम दर्जनपुरा रोड नवलगढ की रसीद जिसके पीछे 60 व SIXTY लिखा हो पेश कर बताया कि मै व परिवादी कोर्ट परिसर के पास पहुचे तो परिवादी के पास उसके भाई का फोन आया है कि बंगाल पुलिस के आये हुए स्वपन कुमार कोर्ट परिसर में बैठे है। तब मैने फर्द सपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर की फर्द बनाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर डिजिटल टेप रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर सुना गया तो उसमें कोई आवाज नहीं थी। डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर कोर्ट परिसर में रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु भेजा। कुछ समय बाद परिवादी कोर्ट परिसर से बाहर

आने पर डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर ली व जरिये दुरभाष आपको अवगत कराया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि मैं डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर श्री स्वपन कुमार के पास गया तथा उनसे मिला तो उन्होंने मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मामला रफा दफा करने की एवज में 60,000 /रुपये रिश्वत के मांगे हैं तथा एक लाल कागज पर 60 व SIXTY लिखकर दिया। परिवादी ने यह बताया कि श्री स्वपन कुमार मेरे से रिश्वत राशि आज ही लेगा। मेरे पास 60 हजार रुपये की व्यवस्था नहीं हुई है। मेरे पास 50 हजार रुपये की व्यवस्था हुई है जो मैं साथ लेकर आया हूँ। डिजिटल टेप रिकार्डर को चला कर सुना गया तो कानि ईशाक मौहम्मद व परिवादी द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी का प्रार्थना पत्र व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री मनोज उर्फ मनीराम का दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री बजरंग लाल कनिष्ठ सहायक व श्री महेन्द्र सिंह सिपाही से आपस में परिचय करवाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती प्राप्त की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। निर्देशानुसार परिवादी श्री मनीराम को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पाँच-पाँच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाये गये। कार्यालय कक्ष का छत पंखा बन्द करवाकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 511 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर मंगवाकर अखबार के उपर सभी नोटों पर हस्व कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री बजरंग लाल से परिवादी श्री मनीराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/- रूपये के नोट श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 न0 511 से परिवादी की पहनी हुई सर्ट की आगे की बाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री मनीराम को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास के रंगीन घोल को बाहर फिकवाया गया। डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था को जलाकर नष्ट किया गया। पानी व साबुन से श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास कुल नग 10 व काँच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बाँक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजिटल टेप मय मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजिटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री मनीराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक इस्माईल खान मय श्री सुभाष चन्द सउनि, कानि0 ईशाक मौहम्मद न0 40, स्वतंत्र गवाह श्री बजरंग लाल परिवादी श्री मनोज उर्फ मनीराम मय डिजिटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड प्राइवेट वाहन तथा श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि, श्री अली मौहम्मद कानि, कुमार सानु कानि, सरकारी वाहन चालक मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु बस स्टेण्ड नवलगढ के पास पहुँचे। परिवादी श्री मनीराम के मोबाईल नम्बर 8000875288 से आरोपी श्री स्वपन कुमार राय के मोबाईल नम्बर 9830479792 पर वार्ता करवाई तो बताया कि मैं बाहर गया हुआ हूँ, घण्टे भर बाद आ रहा हूँ। परिवादी ने बताया कि श्री स्वपन कुमार राय तहसील कार्यालय के सामने होटल में रुका हुआ है। स्वपन कुमार राय मेरे से दो-तीन बार बात करने के लिए तहसील कार्यालय में मिला था अब भी वह तहसील कार्यालय में आयेगा। जिस पर हम सभी ट्रेप पार्टी सदस्य आरोपी के आने के इंतजार में आस-पास में मुक़िम हुये। समय 05.40 पी.एम. पर कानि0 ईशाक मौहम्मद एवं परिवादी श्री मनीराम को मय डिजिटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड के वास्ते आरोपी श्री स्वपन कुमार राय से रिश्वत संबधि बातचीत करने हेतु तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया गया। हम सभी परिवादी के मुर्करर ईशारे के इंतजार में मुक़िम हुये।समय करीब 06.28 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी का मुर्करर तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को साथ लेता हुआ तहसील परिसर में पीछे की तरफ बने हुये पेशाब घर के पास बाहर गलियारे में परिवादी व उसके पास एक व्यक्ति खड़े हुये मिले। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुये उस व्यक्ति की तरफ हाथ का ईशारा करते हुये बताया कि यही स्वपन कुमार थानेदार है जिन्होंने मेरे से अभी अभी पाउडर लगे 50 हजार रुपये लिए हैं तथा मेरे से पूछा कि कितने रुपये लेकर आये हो तब मैंने कहा की 50 हजार रुपये हैं। तब स्वपन कुमार ने कहा कि पाँच हजार रुपये और लेकर आओ। स्वपन कुमार ने 50 हजार रुपये रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर छोटा साईड बैग के अन्दर जेब में रख लिये हैं। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक, पुलिस

थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल होना बताया व रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर श्री स्वपन कुमार ने बताया कि मैंने पैसे नहीं लिये हैं। मनीराम उर्फ मनोज ने मुझे अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे को रफा दफा करने के लिए दिये हैं व मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने गुलाबी रंग के कागज पर 60 तथा अंग्रेजी में SIXTY लिखा था जिस पर श्री स्वपन कुमार ने बताया कि यह मेरे द्वारा नहीं लिखे गये हैं। आरोपी ने बताया कि रिश्वत राशि के 50 हजार रुपये मेरे साईड के छोटे बैग में रखे हैं। परिवादी ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि स्वपन कुमार जी झुठ बोल रहे हैं। कल इन्होंने मुझे नवलगढ पुलिस थाने में बुलाया था। मैं मेरे भाई गिरधारी लाल के साथ थाने में गया तब स्वपन कुमार जी ने बताया कि मेरे विरुद्ध प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहेटी में बलात्कार का दर्ज है। जिसमें मेरे नाम का धारा 41(A) का नोटिस मेरे भाई को दिया। मुझे साईड में लेजाकर स्वपन कुमार ने मुकदमें में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। आज सुबह सत्यापन के दौरान मेरे से स्वपन कुमार जी ने 60 हजार रुपये मांगे थे तब उन्होंने अपने हाथ से गुलाबी कागज पर 60 और SIXTY अपने हाथ से लिखे हैं। परिवादी ने बताया कि मैंने मांग के अनुशरण में आज श्री स्वपन कुमार राय को 50 हजार रुपये इनको दिये हैं, जिन्होंने रिश्वत राशि 50 हजार रुपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपने पास साईड के छोटे बैग में रखे हैं। आरोपी के पास जो बैग है उसकी चैन खुली हुई थी जिसमें पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की थई दिखाई दे रही थी। बैग को गवाह श्री बजरंग लाल को सम्भलाया गया। रिश्वती राशि लेने की पुष्टि होने पर श्री अली हुसैन कानि0 से आरोपी का बाया हाथ तथा सुनील कुमार कानि से आरोपी का दाहिना हाथ कलाईयो से उपर से पकड़वाया गया। मौके पर लिखापढी की कार्यवाही करने के लिए फर्नीचर, लाईट आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को हबहु स्थिति में सरकारी गाडी में बिठाकर पुलिस थाना नवलगढ पहुचे। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री कुमार सानु के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला तथा दूसरे गिलास में आरोपी के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का झाँई दार गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क L-1, L-2 एवं R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी के छोटे साईड बैग में रखी हुई को गवाह श्री बजरंग लाल से निकलवाकर गिनवाई गई तो पांच पांच सौ रुपये के 100 नोट कुल 50,000 रुपये होना बताया। बरामद रिश्वती राशि दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से नोटों के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर मुताबिक फर्द हबहु पाये गये। रिश्वती राशि के रूपयों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2TM 928109
2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2EV 974988
3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3MH 358464
4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8AF 915818
5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6EN 258608
6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2MC 650523
7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1UV 095719
8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9KG 469939
9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0WM 410701
10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5CT 202381
11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6BP 422222
12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9BA 468138
13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9KD 334338
14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7 HL 648395
15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0HF 153139
16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8AQ 614557
17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5FB 932552
18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0LQ 390787
19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9BV 097482
20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1HT 782113
21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7PA 048477
22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2LA 963362

- 23.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9VC 720625
- 24.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5PN 279281
- 25.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1AP 092606
- 26.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6NU 523249
- 27.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7CR 926684
- 28.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7AM 182184
- 29.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9SR 988314
- 30.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2AP 110568
- 31.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1RT 085634
- 32.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4MC 207030
- 33.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9NS 833688
- 34.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9AD 362024
- 35.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9AH 096261
- 36.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2GU 835001
- 37.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9EH 332733
- 38.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9CR 407423
- 39.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5VT 150162
- 40.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7CG 186313
- 41.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8SF 333717
- 42.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3QB 396992
- 43.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9RR 229421
- 44.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5DV 052157
- 45.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1DH 310418
- 46.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7BB 697690
- 47.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6AH 498502
- 48.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RQ 092091
- 49.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5HL 389199
- 50.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3UL 70522
- 51.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3AR 141232
- 52.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2EU 126631
- 53.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4MC 283217
- 54.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6DC 320685
- 55.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9DT 823949
- 56.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1SD 917116
- 57.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0KT 775351
- 58.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1MK 033283
- 59.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5CS 995150
- 60.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FR 525445
- 61.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9PC 006956
- 62.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1AF 078571
- 63.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0AQ 646977
- 64.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FT 067527
- 65.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0NP 887525
- 66.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7RD 315125
- 67.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8MW 967091
- 68.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1VN 750924
- 69.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4PW 808634
- 70.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0MG 425955

- 71.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1HH 854199
- 72.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5WE 564729
- 73.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182668
- 74.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182654
- 75.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182657
- 76.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182660
- 77.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182661
- 78.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182662
- 79.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182663
- 80.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182664
- 81.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182667
- 82.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RV 059432
- 83.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182666
- 84.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8RS 259939
- 85.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3HK 607009
- 86.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RF 622850
- 87.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3BS 729032
- 88.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2VH 751350
- 89.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0AS 626012
- 90.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3EP 690277
- 91.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5RB 319719
- 92.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8DH 955052
- 93.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7HT 631593
- 94.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7WH 122266
- 95.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3NC 303967
- 96.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FM 998032
- 97.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0SN 089305
- 98.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0CN 786036
- 99.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8GF 630887
- 100 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर -8AB 992173

जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि 50,000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात कानि. सुनील कुमार के दोनो हाथ एवं एक एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, कांच की दो शिशिया को पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। साईड के छोटे बैग बरंग काला का अवलोकन किया गया जिसमें आगे की तरफ अंग्रेजी में PB BALCON लिखा हुआ है। बैग के चार जेब है। बैग के आगे की जेब बिना चैन की तथा तीन जेब चैन लगी हुई है। आगे की जेब खाली है। दुसरी जेब से रिश्वत राशि बदामद हुई है। तीसरी जेब चैन लगी हुई जिसमें रखा सामान खाली करवाया गया। चैन लगी हुई दुसरी जेब जिसमें रिश्वत राशि बदरामद हुई है को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसको दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क HB-1, HB-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। बैग में रखी रिश्वत राशि जिस जेब से बरामद हुई है उस जेब के अंदर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बैग बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क A अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी मनीराम उर्फ मनोज कुमार के कार्य के बारे में श्री स्वपन कुमार राय से पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मनीराम उर्फ मनोज के विरुद्ध पुलिस थाना नेहेटी में प्रकरण संख्या 36/2024 धारा 417, 420, 376 भादस में दर्ज है जिसका मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ। उक्त प्रकरण के अनुसंधान के क्रम पुलिस थाना नवलगढ में कल दिनांक 14.03.2024 को रिपोर्ट की थी। कल नवलगढ पुलिस थाना के मार्फत मनीराम उर्फ मनोज को बुलाया था उसके साथ उसका भाई श्री गिरधारी लाल भी आया था। मैंने प्रकरण में श्री मनीराम उर्फ मनोज का धारा 41(A) का नोटिस मनीराम के भाई श्री गिरधारी लाल से तामिल करवाई थी। प्रकरण से संबंधित पत्रावली मैं जिस होटल में रुका

हुआ हूँ उसका नाम अपना होटल है जो तहसील कार्यालय के सामने है उसके कमरे में रखी हुई हैं जो पृथक से शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रार्थना सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 22 का नमूना तीन कागजों पर अलग से लिया जाकर उन पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज नमूना ब्राशसील पीतल नं. 22 गवाह श्री बजरंग लाल को सुपुर्द की गई। आरोपी श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज द्वारा आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की दिनांक 15.03.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 से दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को एक सफेद कपड़े की थैली में शिल्ड कर मार्क बी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज ने एक आवाज स्वयं की व एक आवाज आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की आवाजों की पहचान की। डिजिटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क बी-1 अंकित किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर गये। शिल्ड पैकेट मार्क बी, बी-1 व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की दिनांक 15.03.2024 को रिश्वत लेन देन वार्ता सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 से दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को एक सफेद कपड़े की थैली में शिल्ड कर मार्क सी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व एक आवाज आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की आवाजों की पहचान की। डिजिटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क सी-1 अंकित किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर गये। शिल्ड पैकेट मार्क सी, सी-1 व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक, मय जप्तशुदा माल वजह सबूत मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना नवलगढ़ से रवाना हो झुंझुनूं पहुंचे। दिनांक 16.03.2024 को परिवादी की निषादेही से हालात नक्षा मौका व घटनास्थल स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी सीकर आरोपी के होटल के कमरा न0 509 की खाना तलाशी मय प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहेटी की पत्रावली पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र श्री स्व0 श्री बिजन कुमार राय 8 पूर्वांचल स्कूल रोड, पोस्ट आफिस हरथु, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज पुत्र श्री शिशुपाल सैनी जाति माली, उम्र 42 साल निवासी नवलडी, पुलिस थाना नवलगढ़ जिला झुंझुनूं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 36/2024 धारा 417, 420, 376 भादस पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार नहीं करने तथा प्रकरण को रफा दफा करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 15.03.2024 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 15.03.2024 को आरोपी श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक को परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र श्री स्व0 श्री बिजन कुमार राय, उम्र 45 साल, जाति नमोषुद्र निवासी 8 पूर्वांचल स्कूल रोड, पोस्ट आफिस हरथु, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (इस्माईल खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र स्व.श्री बिजन कुमार राय, निवासी 8, पूर्वांचल स्कूल रोड, पोस्ट आफिस हरथु, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, हाल उप



निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट जिला 24, उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 148 पर अंकित है।(विशानाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 220-23 दिनांक 16.3.2024 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर। 2-पुलिस उप आयुक्त (मुख्यालय), बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल। 3-पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Ravindra Singh Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): Shekhawat (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to  
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/03/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)